पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में में

सिविल/ दीवानी रिट अधिकारिता मामला सं. 3460/2020

==========

1. प्रफुल्ल चंद्र चौधरी, पुत्र - स्वर्गीय गोरे लाल चौधरी, निवासी वार्ड सं.-20, श्री कृष्णपुरी उत्तर, थाना- बेगुसराय टाउन, जि.- बेगुसराय, बिहार
2. योगेंद्र प्रसाद यादव, पुत्र - स्वर्गीय तेज नारायण यादव, निवासी लोहिया नगर, पन्हांस, थाना- मुफ्फसिल, जि.- बेगुसराय, बिहार
3. सुशील कुमार शर्मा, पुत्र - स्वर्गीय विन्देश्वरी शर्मा, निवासी दिघी कला पूर्वी, हाजीपुर, थाना .- सदर, वैशाली, बिहार
4. सुरेश कुमार राय, पुत्र - स्वर्गीय जादुनंदन राय, प्राथमिक विद्यालय के पास निवासी, धूपरचक, आलमपुर, गोनपुरा, पटना
5. श्याम बाबू सिंह, पुत्र - स्वर्गीय यमुना सिंह, निवासी मकान सं.-1, बसेरा कॉलोनी, रोड सं.-10, पूर्वी इंद्रपुरी, केशरी नगर, पटना, बिहार
6. यशवंत कुमार चौधरी, पुत्र - राम सुधीर चौधरी, निवासी 102, मंगलम कुंज अपार्टमेंट, राम कृष्ण पथ, उत्तर एस. के. पुरी, फुलवारी जिला-पटना, बिहार

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, द्वारा - प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना

4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार, वीर चंद पटेल पथ, पटना, बिहार

.....प्रतिवादीगण

==========

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226

अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर किया गया जिसमें मांग की गई कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई अभ्यावेदन को निर्णित किया जाए।

इस मामले में याचिकाकर्तागण अपने वार्षिक वेतन वृद्धि के एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गये।

शिव कुमार बनाम बिहार सरकार 2023(6) बी.एल.जे. में पारित निर्णय पर भरोसा किया गया जिसमें निर्णित किया गया था कि जब कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उसके वेतन वृद्धि के एक दिन पहले होती है, तो उन्हें वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जायेगा। याचिकाकर्ताओं को वेतनवृद्धि लाभ का हकदार पाया गया तथा उनका वेतन पनः निर्धारण करने का निर्देश दिया गया।

[पारा 5]

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में में

सिविल/ दीवानी रिट अधिकारिता मामला सं. 3460/2020

==========

1. प्रफुल्ल चंद्र चौधरी, पुत्र - स्वर्गीय गोरे लाल चौधरी, निवासी वार्ड सं.-20, श्री कृष्णपुरी उत्तर, थाना- बेगुसराय टाउन, जि.- बेगुसराय, बिहार
2. योगेंद्र प्रसाद यादव, पुत्र - स्वर्गीय तेज नारायण यादव, निवासी लोहिया नगर, पन्हांस, थाना- मुफ्फसिल, जि.- बेगुसराय, बिहार
3. सुशील कुमार शर्मा, पुत्र - स्वर्गीय विन्देश्वरी शर्मा, निवासी दिघी कला पूर्वी, हाजीपुर, थाना .- सदर, वैशाली, बिहार
4. सुरेश कुमार राय, पुत्र - स्वर्गीय जादुनंदन राय, प्राथमिक विद्यालय के पास निवासी, धूपरचक, आलमपुर, गोनपुरा, पटना
5. श्याम बाबू सिंह, पुत्र - स्वर्गीय यमुना सिंह, निवासी मकान सं.-1, बसेरा कॉलोनी, रोड सं.-10, पूर्वी इंद्रपुरी, केशरी नगर, पटना, बिहार
6. यशवंत कुमार चौधरी, पुत्र - राम सुधीर चौधरी, निवासी 102, मंगलम कुंज अपार्टमेंट, राम कृष्ण पथ, उत्तर एस. के. पुरी, फुलवारी जिला-पटना, बिहार

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, द्वारा - प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना

4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार, वीर चंद पटेल पथ, पटना, बिहार

.....प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्तागण के लिए: श्री निवेदिता निर्विकर, वरिष्ठ अधिवक्ता,

प्रत्यर्थीगण के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता: श्री अंजनी कुमार (एएजी4)

श्री संजय कुमार, ए. ए. जी-4 के सहायक सलाहकार

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति डॉ.श्री अंशुमान

मौखिक न्यायादेश/निर्णय

तिथि: 02-02-2024

1. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और राज्य के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए दायर की गई हैं जिसमे वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान 1 जुलाई 2011 तथा 1 जुलाई 2013 को देय है, जबकि याचिकाकर्ता 30.06. 2011 और 30. 06. 2013 को सेवानिवृत्त हुए।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना हैं कि इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था जिसमें

इस मामले पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।वकील का यह भी कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने **शिव कुमार बनाम बिहार राज्य** के मामले में न्यायालय ने बताया कि **2023 (6) बी. एल. जे. 392** में उक्त मुद्दे का फैसला किया है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता वेतन वृद्धि के हकदार हैं।

4. राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि **शिव कुमार (उपरोक्त)** के मामले में इस माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य के लिए खंड पीठ के अनुसार निर्णय लेने की कोई गुंजाइश नहीं है।

5. दलीलों के आलोक में, इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में शामिल एकमात्र मुद्दा यह है कि याचिकाकर्ताओं को 30.06.2011 और 30.06.2013 को सेवानिवृत्त किया गया था, जबकि उनकी वार्षिक वृद्धि क्रमशः 01.07.2011 और 01.07.2013 को देय है।शिव कुमार उपरोक्त के मामले में, यह पहले ही तय किया जा चुका है कि याचिकाकर्ता जो 31.12.2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 01.01.2023 को आती है, इसका मतलब है कि जब सेवानिवृत्ति के अगले दिन वार्षिक वेतन वृद्धि देय हो जाती है, तो कर्मचारी को वेतन के उद्देश्य से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।इस प्रकार, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को उनके अंतिम वेतन को फिर से प्राप्त करने के लिए काल्पनिक रूप से वृद्धि दी जाएगी और उक्त निर्णय के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों को फिर से तय किया जाएगा।

6. मामले के इस दृष्टिकोण से, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।प्रत्यर्थी को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को लाभ देने का निर्देश दिया जाता है।

(डॉ. अंशुमान, न्यायमूर्ति)

एमकेआर./-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।